(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नानकपुरा क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों के आबंटितियों को भूमितल और प्रथम तल पर पानी नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में विस्तृत तथ्य क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Sanitary conditions iu Nanak Tura, New Delhi

611. SHRI NARESH YADAV; Will the Minister oi URBAN DEVELOPMENT bi pleased to state:

(a) whether it is a fact that sanitary conditions in Government colonies, parti cularly in G—Block Nanakpura, New Delh! deteriorate during the rainy sea-tons ;

(b) whether Government are aware that due to inadequate drainage system in G-Block. Nanakpura, New Delhi all the rain water from the main road floods into the colony and also into the adjoining primary school; and

(c) if so, what effective measures CPWD authorities have been or propose to take to solve this recurring problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a; to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

आवास सरकार योजना

612. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अस्सी के दशक में आवास सरकार योजना आरंभ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) किसी श्रेणी के पंजीकृत व्यक्ति उक्त योजना का सदस्य बनने के पात्र थे;

(घ) योजना किस सीमा तक सफल हुई, यदि सफल नहीं हुई, तो इसकी विफलता के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या न्यू पैटर्न स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र थे और स्व-वित्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति इस योजना का सदस्य बनने के पात्र नहीं थे; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व वित्त योजनाओं की बजाय न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों को पात्रता दिए जाने के क्या कारण हैं और इस गलती को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि न्यू पैटर्न पंजीयन योजना, 1979 के निम्न आय वर्ग/मध्य आय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों में से सहकारी समूह आवास समितियों के गठन के लिए वर्ष 1988 में आवास साकार योजना लागू की गई थी । यह स्वैच्छिक योजना केवल न्यू पैटर्न योजना, 1979 में पंजीकृत किन्तु शेष व्यक्तियों/आवेदकों को शीघ्र मकान देने के लिए लागू की गई थी ।

इस योजना के प्रति संतोषजनक अनुकूलन उत्तर नहीं मिला । योजना में पंजीकृत 9 समितियों में से 6 समितियों को द्वारका/पपनकलां में प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं ।